

फ़ा. संख्या सीबीआईसी-20001/14/2024-जीएसटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

जीएसटी पॉलिसी विंग

नॉर्थ ब्लॉक , नई दिल्ली

तारीख : 2025

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/आयुक्त (केन्द्रीय कर)
सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक ।

महोदया/महोदय,

विषय: प्ररूप जीएसटीआर-9ग प्रस्तुत करने में देरी के लिए विलंब शुल्क की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण-के संदर्भ में।

प्ररूप जीएसटीआर-9ग में समाधान विवरण (Reconciliation Statement) प्रस्तुत करने में देरी के लिए देय विलंब शुल्क की उगाही के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है कि क्या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे "सीजीएसटी अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 47 के बाबत वहां विलंब शुल्क लगाया जाएगा, जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न के साथ प्ररूप जीएसटीआर-9ग में समाधान विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, लेकिन वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख के बाद दाखिल किया जाता है।

2. मुद्दे को स्पष्ट करने और क्षेत्रीय संरचनाओं में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड, केंद्रीय माल और सेवा अधिनियम, 2017 (जिसे आगे "सीजीएसटी अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 168(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी करता है।

3. 01.08.2021 से पहले, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 44 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान था कि एक पंजीकृत व्यक्ति जिसे सीजीएसटी अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (5) के प्रावधानों के अनुसार अपने खातों का लेखापरीक्षा (Audit) करवाना आवश्यक है, उसे उक्त धारा की उप-धारा (1) के तहत वार्षिक रिटर्न के साथ लेखापरीक्षा किए गए वार्षिक खातों की एक प्रति और एक समाधान विवरण प्रस्तुत करना होगा। 01.08.2021 से, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (5) के प्रावधानों के अनुसार खातों का लेखापरीक्षा कराने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसी समय के भीतर और उसी प्रारूप में और उसी तरीके से जैसा कि निर्धारित किया गया हो, वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने का प्रावधान है, जिसमें स्व-प्रमाणित समाधान विवरण शामिल हो सकता है, जो वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत रिटर्न में घोषित आपूर्ति के मूल्य को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षा किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलान करके प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, 01.08.2021 से पहले, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे आगे "सीजीएसटी नियम" कहा जाएगा) के नियम 80 के उप-नियम (3) में यह प्रावधान था कि यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति का कुल कारोबार एक वित्तीय वर्ष में दो करोड़ रुपये से अधिक है, तो खातों का सीजीएसटी अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (5) के अनुसार लेखापरीक्षा किया जाएगा और

ऐसा करदाता लेखापरीक्षा किए गए वार्षिक खातों की एक प्रति और एक समाधान विवरण, विधिवत प्रमाणित, प्ररूप जीएसटीआर-9ग में प्रस्तुत करेगा। 01.08.2021 से, सीजीएसटी नियमों के नियम 80 के उप-नियम (3) में यह प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कारोबार पांच करोड़ रुपये से अधिक वाले करदाता को ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दिसंबर के इकतीसवें दिन तक या उसके पहले प्ररूप जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न के साथ प्ररूप जीएसटीआर-9ग में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 44 के तहत निर्दिष्ट स्व-प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करना होगा।

3.1 इसलिए, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 44 को सीजीएसटी नियमों के नियम 80 के साथ पढ़ने पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संशोधन से पूर्व और बाद के दोनों प्रावधानों में यह अनिवार्य किया गया था कि यदि पंजीकृत व्यक्तियों को किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है, तो इसके साथ ही प्ररूप जीएसटीआर-9ग में एक विधिवत प्रमाणित या स्व-प्रमाणित समाधान विवरण भी प्रस्तुत करना होगा, जो उक्त वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9 में घोषित आपूर्ति के मूल्य को लेखापरीक्षा किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलान करता है। यह भी उल्लेख किया गया है कि प्ररूप जीएसटीआर-9ग में समाधान विवरण केवल तभी दाखिल करना आवश्यक है, जब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त पंजीकृत व्यक्ति का कुल कारोबार निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो।

3.2 सीजीएसटी अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा (2) में, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत रिटर्न को नियत तिथि तक प्रस्तुत करने में विफलता के लिए विलंब शुल्क लगाने का प्रावधान है, जिसकी गणना अधिकतम राशि के अधीन, जितने दिन विलंब से रिटर्न प्रस्तुत होगा उस प्रत्येक दिन के लिए, निर्दिष्ट दर पर की जाएगी। उपरोक्त चर्चा के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां प्ररूप जीएसटीआर-9ग में समाधान विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न में केवल प्ररूप जीएसटीआर-9 शामिल होता है और ऐसे मामलों में जहां प्ररूप जीएसटीआर-9ग में समाधान विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न में प्ररूप जीएसटीआर-9 के साथ-साथ प्ररूप जीएसटीआर-9ग में समाधान विवरण भी शामिल होता है। इसलिए, ऐसे मामलों में जहां प्ररूप जीएसटीआर-9ग में समाधान विवरण को प्ररूप जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 44 के तहत वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना तब तक पूरा नहीं कहा जा सकता है, जब तक कि प्ररूप जीएसटीआर-9 में रिटर्न और प्ररूप जीएसटीआर-9ग में समाधान विवरण दोनों प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। यदि केवल प्ररूप जीएसटीआर-9 में रिटर्न प्रस्तुत किया गया है और प्ररूप जीएसटीआर-9ग में समाधान विवरण अपेक्षित है, लेकिन प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया गया नहीं माना जाएगा।

3.3 उपर्युक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (2) के तहत विलंब शुल्क, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 44 के तहत पूर्ण वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने में देरी के लिए लगाया जाएगा, यानी प्ररूप जीएसटीआर-9 और प्ररूप जीएसटीआर-9ग (जहां प्ररूप जीएसटीआर-9ग भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है) दोनों और विलंब शुल्क उक्त वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख से लेकर पूर्ण वार्षिक रिटर्न यानी प्ररूप जीएसटीआर-9 और प्ररूप जीएसटीआर-9ग प्रस्तुत करने की तारीख तक की अवधि के लिए देय होगा।:

- i. ऐसे मामलों में जहां प्ररूप जीएसटीआर-9ग प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, प्ररूप जीएसटीआर-9 प्रस्तुत करने की तिथि;
- ii. ऐसे मामलों में जहां प्ररूप जीएसटीआर-9ग को प्ररूप जीएसटीआर-9 के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है,

क. प्ररूप जीएसटीआर-9 प्रस्तुत करने की तिथि, यदि प्ररूप जीएसटीआर-9ग को प्ररूप जीएसटीआर-9 के साथ प्रस्तुत किया गया हो ; या

ख. प्ररूप जीएसटीआर-9ग प्रस्तुत करने की तिथि, यदि प्ररूप जीएसटीआर-9ग को प्ररूप जीएसटीआर-9 प्रस्तुत करने के बाद प्रस्तुत किया गया हो।

4. यह भी उल्लेख किया जाता है कि अधिसूचना संख्या 08/2025 दिनांक 23.01.2025 के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 तक किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के संबंध में ऐसा विलंब शुल्क माफ कर दिया जाएगा, जो कि उक्त वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9 में रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि तक सीजीएसटी अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा (2) के तहत देय विलंब शुल्क से अधिक है, यदि प्ररूप जीएसटीआर-9ग में समाधान विवरण 31 मार्च 2025 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाए। तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां प्ररूप जीएसटीआर-9ग में समाधान विवरण को प्ररूप जीएसटीआर-9 में रिटर्न के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था, लेकिन वित्त वर्ष 2022-23 तक किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया, और बाद में 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा, तो प्ररूप जीएसटीआर-9 प्रस्तुत करने की तिथि तक देय विलंब शुल्क से अधिक होने पर प्ररूप जीएसटीआर-9ग को विलंब से प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त विलंब शुल्क देय नहीं होगा। इसके अलावा, उक्त वित्तीय वर्षों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9ग को देरी से प्रस्तुत करने के संबंध में पहले से भुगतान किए गए विलंब शुल्क की किसी भी राशि के संबंध में कोई प्रतिदाय (Refund) स्वीकार्य नहीं होगा।

5. अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषय-वस्तु को सार्वजनिक करने के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जाएं।

6. यदि इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो तो उसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

7. अंग्रेजी संस्करण और उसके हिंदी अनुवाद के बीच किसी भी प्रकार की विसंगति या असंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

गौरव सिंह
आयुक्त (जीएसटी)